74

संख्या– /XV-2/01(05)/2014

प्रेषक,

विजय कुमार ढ़ौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2015:

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–723–24/लेखा–प्रस्ताव दु0मू0प्रो0यो0पत्रा0/2015–16, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या–645/XXVII(1)/2015, दिनांक 04 जून, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में डेरी विकास विभाग को अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 631.00 लाख (रूपये छ करोड़ इकतीस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
3. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
6. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेश दिनांक 04 जून, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।